Golden Research Thoughts
ISSN 2231-5063
Impact Factor : 2.2052 (UIF)
Volume-4 | Issue-1 | July-2014 Available online at www.aygrt.isrj.net

GRT

भारतीय राजनेतिक दलो के आय-व्यय में भ्रष्टाचार और निवारण कानून : तथ्य,समस्या और समाधान

विश्वास चौहान
पूर्व प्राचार्य सतपुड़ा ला कालेज छिंदवाडा

सारांश -

प्रदेश मे पारदर्शी , भ्रष्टाचार मुक्त , लोकहित केन्द्रित कल्याणकारी प्रशासन का वादा प्राय: सभी दल करते है. किंतु जब बात उसके क्रियान्वयन की आती है और उन दलो को इससे अपना नुकसान दिखता है तो इन वादो से मुकरना शुरु कर देते है. आश्चर्य तब होता है कि प्राय: हर माम्ले मे सत्ता पक्ष के विरोधी भी इन मुद्दो पर एक स्वर मे बोलने लगते है.

प्रस्तावना-

कुछ इसी तरह का मामला बना है राष्ट्रीय राजनीतिक दलो को सूचना अधिकार के दायरे मे लान की पहल . विगत सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले मे देश के सभी 6 मन्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलो काग्रेस. भाजपा , बसपा,भाकपा , मकपा और रांकपा को सूचना अधिकार के दायरे मे ला दिया हे लेकिन जिसिबी ट्रैक इन के अनुसार भारत में सबसे कम यानि २०% भ्रष्टाचार सेना में और सबसे ज्यादा यानि ८६ % राजनितिक दलो में हे| भारत में भ्रष्टाचार के प्रमुख क्षेत्रो में प्रशासनिक और राजनितिक क्षेत्र प्रमुख हे जहाँ क्रमश: २३ और २१ प्रतिशत भ्रष्टाचार हे

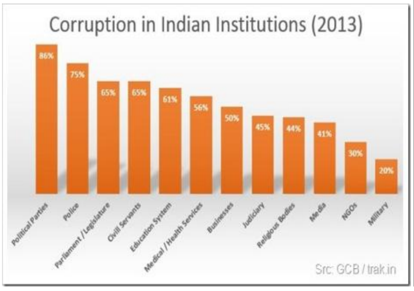

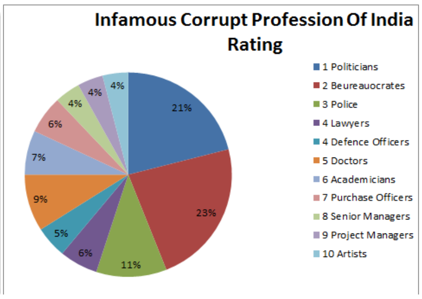

Global Corruption Barometer findings

Jitendra Rajaram **INDIAN CORRUPTION ANALYSIS (FULL STORY)**

तर्क एवं उद्देश्य

आज देश में व्यापक आर्थिक सुधारों को जरुरी बताया जा रहा है . परन्तु देश में घोटालो की वजह से कितना आर्थिक नुक्सान हुआ इसकी गिनती और इसक प्रति सुधार के लिए कोई पहल दिखाई क्यों नहीं देती .देश का राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है विकास दर स्थिरता प्राप्त कर चुकी है . आखिर क्यों भारत की गरीब जनता इस तथाकथित आर्थिक सुधारों से पैदा होने वाली समस्याओं को अपने सर पर ढोये ? आखिर क्यों भारत की जनता अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई को राजनेताओं और भ्रष्टाचारियो की तिजोरियो को भरने के लिए खर्च करे . सरकार गरीब जनता पर कर और मंहगाई का बोझ लाद कर अपने ,शुभचिंतको ,रिश्तेदारों को कमाने का आखिर हक़ किस आधार पर दे सकती है ? देश को केवल आर्थिक सुधार की जरुरत नहीं है जो की केवल वोट बैंक से प्रेरित हो . देश को आज सबसे ज्यादा राजनीतिक सुधार की जरुरत है .चुनाव आयोगों की कई महत्वपूर्ण सिफारिशें जो चुनाव सुधारों पर केन्द्रित थी क्यों दबा कर रखी गई है ? क्या यह मान लिया जाए कि आर्थिक सुधारों से देश की अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ जायेगी . केवल आर टी आई भी एक मात्र उपाय नहीं है जो देश के भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर दे . इसके साथ ही हमें राजनैतिक , प्रशासनिक व संसदीय सुधार करने होंगे इसी उद्देश्य को लेकर यह शौध आलेख बनाया गया हे

परिकल्पना-

पिछले वर्षों में राजनेताओं द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की खबरों की बाढ़ आ गयी है। हमारी न्यायव्यवस्था की कमजोरियों के कारण भले ही बहुत सारे आरोपियों को लम्बे समय तक दण्ड न मिल सके और ढेर सारे लोग सबूतों के अभाव और गवाहों के टूट जाने से छूट जाएं किंतु जनता के मन में यह बात घर कर चुकी है कि अधिकांश नेता और दल भ्रष्ट हैं और उनमें से बहुत कम ही जाँच के घेरे में आ पाते हैं। इसका प्रमुख कारण शक्तिशाली कानूनों का आभाव या क्रियान्वयन में राजनितिक हस्तक्षेप हे साथ ही वर्तमान चुनाव प्रणाली और राजनितिक दलो के आय व्यय में अपारदर्शिता और भ्रष्टाचार भी हे |

शौध-विधि – प्रस्तुत शौध में प्रमुख कानून और शौध रिपोर्ट और न्यायालयों के निर्णयों की पड़ताल को शौध विधि के रूप में उपयोगित किया गया हे |

शौध-क्षेत्र और सेम्पल एकत्रीकरण-

उक्त शौध के सम्बन्ध में शौध का क्षेत्र भारत के प्रमुख राष्ट्रिय राजनितिक दलो के आय व्यय और क्रिया कलापों के संधर्भ में रखा गया हे |

शौध-तकनीक –

भारतीय राजनेतिक दलो के आय-व्यय में भ्रष्टाचार और निवारण कानून : तथ्य,समस्या और समाधान
प्रस्तुत शौध में अन्वेष्णात्मक शौध प्रणाली का उपयोग किया गया हे जिसके अंतर्गत समस्या का विश्लेष्ण और उपलब्ध सामग्री का समीक्षात्मक अध्ययन कर परिकल्पना निर्मित की गयी उन परिकल्पनाओ का अन्वेषण करने के लिए उपलब्ध आंकड़ो,तथ्यों ,न्यायालयीन निर्णयों ,आलेखों ,कानूनों ,रिपोर्टो का एकत्रीकरन कर तुलनात्मक परिक्षण किया गया और निष्कर्ष निकाले गये हे ,जिससे अनुसन्धान परिष्कृत रूप में सामने आया हे |

अवलोकन या विश्लेष्ण-

<u>आय का विवरण –</u>

- राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा **2012-13** के लिए आयकर विभाग को दी गयी आयकर विवरणियों को समेकित कर तुलनात्मक अध्य्यन करने पर कुछ दिलचस्प जानकारियां सामने आयी हैं।
- दलों द्वारा आयकर विभाग को दी गयी जानकारी के अनुसार 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त छह दलों को कुल नौ सौ इकानबे करोड़ इक्कीस लाख रुपयों की आय हुयी है भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के रिटर्न में चार सौ पच्चीस करोड़ उनहत्तर लाख की कुल आय अर्थात उपरोक्त की 43 प्रतिशत, दर्शायी गयी है। इसमें से कूपन और प्रकाशन बेचने से सबसे अधिक आय तीन सौ बारह करोड़ चौबीस लाख, दान, अनुदान और सहयोग से उनहत्तार करोड़ नौ लाख अन्य आय बत्तीस करोड़ सडसठ लाख और अवर्गीकृत दस करोड़ छियासी लाख है।
- भारतीय जनता पार्टी को तीन सौ चौबीस करोड़ सोलह लाख अर्थात 33प्रतिशत का हिस्सा है। इस आय में से उन्होंने स्वैच्छिक सहयोग से दो सौ इकहत्तार करोड़ तिरेपन लाख, सदस्यता शुल्क से सोलह करोड़ निन्नावे लाख, बैंक ब्याज से चौबीस करोड़ सन्तानवे लाख और अवर्गीकृत दस करोड़ सरसठ लाख रुपये दर्शाये हैं।

- राष्ट्रीय मान्य दलों को प्राप्त कुल आय का छिहत्तार प्रतिशत प्राप्त करने वाले उपरोक्त दो दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हे।
- मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी को एक सौ छब्बीस करोड़ नौ लाख अर्थात 13 प्रतिशत आय हुयी है जिसमें से उसके पार्टी सदस्यों से ली गयी लेवी के रूप में उनतालीस करोड़ बारह लाख, स्वैच्छिक सहयोग के रूप में बहत्तार करोड़, बैंक ब्याज और डिवीडेंट से बारह करोड़ तिहत्तार लाख व अन्य आय दो करोड़ तेईस लाख है।
- बहुजन समाज पार्टी की कुल आय सतासी करोड़ तिरसठ लाख अर्थात नौ प्रतिशत है। रोचक है कि अपने टिकिट बेचने और विधायकों सांसदों से पूरे कार्यकाल में मिलने वाले वेतन के चेक पूर्व में ही ले लेने के लिए बदनाम इस पार्टी की उक्त आमदनी में सत्तर करोड़ रुपयों की आय तो भूमि और भवन की बिक्री से प्राप्त बतायी गयी है, सदस्यता शुल्क के रूप में प्राप्त चार करोड़ पिंचानवे लाख से ज्यादा राशि पाँच करोड़ तिरेसठ लाख तो उसे बैंक ब्याज से मिली है, पाँच लाख रुपया अन्य आय भी है। दूसरे शब्दों में कहें तो उनकी विवरणी के अनुसार इस पार्टी ने किसी गैर के आगे हाथ नहीं पसारे।
- छब्बीस करोड़ छप्पन लाख की आय दर्शाने वाली शरद पवार की व्यक्ति केन्द्रित राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी की इस आय में से इक्कीस करोड़ तीस लाख फार्मों की बिक्री और पर्स मनी से मिले बताये गये हैं, कूपनों की बिक्री से तीन करोड़ छिहत्तर लाख सदस्यता शुल्क और चन्दे से एक करोड़, तीन लाख व अन्य आय सैंतालीस लाख बतायी गयी है।
- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसकी ट्रेड यूनियनें, बैंक, बीमा से लेकर बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में है, की कुल आय केवल एक करोड़ सात लाख है जिसमें से चौदह लाख लेवी से तेतीस लाख सदस्यता शुल्क से उननचास लाख बैंक ब्याज से और बारह लाख अन्य आय है।
- जन प्रतिनिधित्व कानून **1951** की धारा **29** सी के अनुसार किसी वर्ष में बीस हजार या उससे अधिक का चन्दा देने वालों का विस्तृत विवरण चुनाव आयोग को देना जरूरी है।
- संबंधित वर्ष में दी गयी विवरणियों के अनुसार तत्कालीन काँग्रेस के पास उक्त श्रेणी के दानदाताओं की संख्या 703 तक सीमित थी जिन्होंने ग्यारह करोड़ बहत्तर लाख का दान दिया
- भाजपा के पास ऐसे दानदाताओं की संख्या 2941 रही जिन्होंने तिरासी करोड़ उन्नीस लाख दिये।
- राष्ट्रवादी काँग्रेस के पास ऐसी संख्या कुल दो है तो बहुजन समाज पार्टी के पास एक भी नहीं। सीपीएम के पास ऐसे दानदाताओं की संख्या 108 है
- सीपीआई के पास कुल 23 है।

गुप्त दान भीं इन पार्टियों को प्राप्त हुआ हे |हमारे देश में कभी गुप्त दान की परम्परा इस उद्देश्य से की गयी थी ताकि देने वालों में अहंकार न जाग जाये पर राजनीतिक दलों को

मिलने वाले चन्दों में भी गुप्तदानियों का बड़ा योगदान पाया जाता है जिसका कारण पुराने परम्परागत आधार से भिन्न हो सकता है। यह ब्लेकमनी, अवैध ढंग से अर्जित आय और विदेशी सहयोग से लेकर कुछ भी हो सकता है।

- सन्दर्भित वर्ष में भी 655 बड़े दान दाताओं ने अपना नाम तो दिया है पर पता गुप्त रखा है
- 43 बड़े दानदाताओं ने अपने नाम और पते दोनों ही गुप्त रखे हैं,
- पाँच दान दाता ऐसे भी हैं जिन्होंने पता तो दिया है पर नाम गुप्त रखा है। ऐसे दानियों ने ग्यारह करोड़ चौदह लाख रुपयों का योगदान दिया है।

दलो को दान देने में कार्पोरेट सेक्टर भी आगे हे

- सभी राष्ट्रीय मान्यता प्रप्त दलों को मिले कुल सहयोग में कारपोरेट सेक्टर का हिस्सा बहत्तार प्रतिशत है, और ग्यारह प्रतिशत ने अपना वर्गीकरण स्पष्ट नहीं किया है।

व्यय का विवरण –

राजनीतिक दलों द्वारा व्यय की मदें भी उनकी नीतियों के अनुसार भिन्न भिन्न हैं।

- काँग्रेस ने अपने कुल खर्च का 65 प्रतिशत पार्टी प्रशासन और सामान्य खर्चों पर किया बताया है
- भारतीय जनता पार्टी के खर्चों में से 60 प्रतिशत व राष्ट्रवादी काँग्रेस ने 30 प्रतिशत विज्ञापनों और प्रचार में खर्च किये गये हैं।
- सीपीआई का सबसे बड़ा खर्च 36 प्रतिशत तो सीपीएम का भी पच्चीस प्रतिशत वेतन और भत्ता पर खर्च हुआ है।
- बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा खर्च 20 प्रतिशत चुनावों के लिये की गयी यात्राओं पर हुआ है।
-

बचत का विवरण –

सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में राजनीतिक दलों द्वारा एकत्रित आय की पूरी राशि एक दल को छोड़ कर किसी ने खर्च नहीं की और किसी पराजय की अज्ञात आशंकाओं से असुरक्षित मानसिकता में आय को बचा कर रखना जरूरी समझा है।

- सत्ताच्युत हो चुकी काँग्रेस ने जिसके द्वारा बिल न चुका पाने के कारण मध्यप्रदेश के प्रदेश कार्यालय की बिजली कटने की खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुयी थी ने सन्दर्भित वर्ष में एक सौ ग्यारह करोड़ तिरेपन लाख बचाये हैं।
- भाजपा ने एक सौ करोड़ अठहत्तर लाख बचाये हैं।
- मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी बावन करोड़ सत्तारह लाख की बचत की है।
- बहुजन समाज पार्टी ने अठत्तर करोड़ छिआनवे लाख, की बचत की है।

- भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी तेरह लाख की बचत की है।

चुनाव सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही संस्था एसोशियेशन आफ डेमोक्रेटिक रिफार्म जिसे एडीआर के नाम से जाना जाने लगा है, ने इस वर्ष भी देश के राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा 2012-13 के लिए आयकर विभाग को दी गयी आयकर विवरणियों को समेकित कर सार्वजनिक किया है।

परिणाम या खोज-

- राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त छह दलों में केवल दो दल ऐसे हैं जिनके यहाँ आय के लिए सदस्यों से अनिवार्य लेवी लेने का प्रावधान है। इनमें से एक माक्र्सवादी कम्युनिस्टपार्टी है जिसमें सदस्यता की शर्त के रूप में लेवी अनिवार्य है और आमदनी के अनुसार लेवी की दर बढती है। इस पार्टी में आठ हजार या उससे अधिक की आय वालों को अधिकतम पाँच प्रतिशत की दर से लेवी देना पड़ती है, उससे कम आय वालों को अलग अलग दरों पर कम लेवी देना पड़ती है।
- दूसरा दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है जिसमें आय के एक प्रतिशत की दर से लेवी देना पड़ती है।
- शेष दलों में सदस्यों समर्थकों और उद्योगपतियों, व्यापारियों, अधिकारियों तथा कार्पोरेट घरानों से बेतरतीब सहयोग प्राप्त किया जाता है जिसे वैसे तो श्रध्दा निधि कहा जा सकता है पर अधिकतर मामलों में यह सौदा होता है या दबाव। यही कारण है कि सत्तारूढ दल को अधिक सहयोग मिलता है व दूसरा नम्बर विकल्प बन सकने का आभास देने वाले सबसे बड़े विरोधी दल का आता है। जहाँ आय अनिश्चित होती है वहाँ व्यय भी अनिश्चित होता है। केवल माक्र्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को मासिक वेतन देने का प्रावधान है जिसकी दर निर्धारित होती है।
- दलों द्वारा आयकर विभाग को दी गयी जानकारी के अनुसार 2012-13 के दौरान राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त छह दलों को कुल नौ सौ इकानबे करोड़ इक्कीस लाख रुपयों की आय हुयी है
- सभी राष्ट्रीय मान्यता प्रप्त दलों को मिले कुल सहयोग में कारपोरेट सेक्टर का हिस्सा बहत्तार प्रतिशत है, और ग्यारह प्रतिशत ने अपना वर्गीकरण स्पष्ट नहीं किया है।
- राजनीतिक दलों द्वारा व्यय की मदें भी उनकी नीतियों के अनुसार भिन्न भिन्न हैं।
- सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में राजनीतिक दलों द्वारा एकत्रित आय की पूरी राशि एक दल को छोड़ कर किसी ने खर्च नहीं की
- यद्यपि विभिन्न प्रारूपों में दिये गये इन प्रपत्रों से कोई बहुत सही निर्णय निकालना सरल नहीं है पर स्थूल रूप में यह कहा जा सकता है कि कारपोरेट घरानों से मिले अधिकतम चन्दे से

चलने वाले राजनीतिक दलों की प्राथमिकताएं उनके चुनाव प्रचार में किये गये वादों से भिन्न होना स्वाभाविक हैं।

- जो राजनीतिक दल अपने पूर्ण कालिक कार्यकर्ताओं को वेतन नहीं देते हैं उनके कार्यकर्ताओं से ज्यादा दिन तक नि:स्वार्थ कार्य की उम्मीद करना बेमानी है या उन दलों की कमान प्रतिभाओं की जगह साधन सम्पन्न वर्ग के पास जाना तय है। जो दल विज्ञापनों और प्रचार में ही अपना सर्वाधिक व्यय कर रहे हैं उनका सौन्दर्य वास्तविक नहीं अपितु मेकअप जनित है।
- राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दलों के अलावा क्षेत्रीय और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल भी कुल मतदाताओं में से चालीस प्रतिशत का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और उसी अनुपात में सहयोग भी प्राप्त कर रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे राज्यों में वे सत्ता में हैं व गत पच्चीस साल से चली आ रही केन्द्र की गठबन्धन सरकारों में वे भागीदार रहे हैं।

सुझाव-

- कड़े कानूनों को लागू करने के पहले हमें अपने मतदाता तो भी इन अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना होगा.
- हमारी 'फस्र्ट पास्ट द पोस्ट' व्यवस्था में सबसे ज्यादा वोट पाने वाला प्रत्याशी जीतकर जाता है. भले ही उसके खिलाफ पड़े वोटों की संख्या उसे प्राप्त वोटों से दुगुनी हो. वह अपनी जीत को जनादेश घोषित कर देता है. इसका एक कारण प्रत्याशियों की बड़ी संख्या और वोटरों का जातीय-साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण है. इस ध्रुवीकरण को बढ़ाने की जिम्मेदार राजनीति है. पर इसमें जनता की जिम्मेदारी भी है. इसे ठीक करने का काम मीडिया और जागरूक नागरिकों को करना चाहिए
- अभी तक हलफनामों में गलत विवरण देने पर कठोर सजा की व्यवस्था नहीं है. अब जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 125 ए में बदलाव की ज़रूरत है
- ऐसे मामलों में जिनमें दो साल या उससे ज्यादा की सजा मिल सकती हो अदालतों में आरोप पत्र दायर हो जाने के बाद प्रत्याशी को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाना चाहिए. यह सच है कि उनके खिलाफ फर्जी मामले भी दर्ज होते हैं. पर यदि अदालतें कम से कम समय में फैसले करने लगें तो यह दुविधा खत्म हो सकती है. हाल में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को निर्देश दिया है कि जन प्रतिनिधियों के मुकदमे आरोप पत्र दाखिल होने के बाद एक साल के भीतर निपटाए जाएं. इससे कम से कम इतना होगा कि मुकदमे लम्बे नहीं खिंचेंगे.
- चुनाव के वक्त शराब बांटने की प्रवृत्ति को देखते हुए शराब बिक्री पर लगभग मतदान के 3 दिन पहले से पाबंदीलगाई जाए।

- वोटिंग सिस्टम में और सुधार की जरूरत है, कई नौजवान अपना वोट नहीं दे पाते क्योंकि अपने काम केसिलसिले में वे किसी अन्य शहर में होते हैं। ऑनलाइन वोटिंग प्रणाली भी शुरू की जानी चाहिए।
- मतदान को अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मत पड़ सकें और बेहतर जनप्रतिनिधि चुनकरआ सकें।
- विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ-साथ हों तो इससे चुनाव पर खर्च होने वाला पैसा और समय दोनों बचायाजा सकता है।
- आचार संहिता को और ज्यादा कठोर बनाया जाए ताकि किसी भी तरीके के दुरूपयोग को रोका जा सके।
- चुनाव आयोग को और अधिक अधिकार देने होंगे, साथ ही चुनाव आयोग को गंभीर मसलों पर कड़े कदम उठाने कीआवश्यकता है।

निष्कर्ष –

कुलमिलाकर प्रस्तुत शोध पत्र में इसलोकतंत्र के महापर्व की प्रक्रिया यानि चुनाव प्रक्रिया और उसके सुधारों की वर्तमान स्थिति का जायजा लेने की कोशिश की गई है।भारत में आजादी के तीन वर्ष बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और इसके लगभग दो साल बादचुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हुई।भारतीय लोक तंत्र की कल्पना करते ही हमारे मस्तिष्क में संविधान का ध्यान आता है, जिसमें भारत की समस्त लो कतांत्रिकप्रक्रियाओं के साथ चुनाव प्रक्रिया का भी वर्णन है। लोकतंत्र राज्य व्यवस्था को बुनियादी ढंग से चलाने की व्यवस्था है, जिसमें जनता`स्व` से शासित होना चाहती है।

लोकतंत्र की व्यवस्था को अनवरत बनाए रखने के लिए ही चुनाव का प्रावधान हमारे संविधान में कि या गया है, फिर लोकतंत्र कीजीवंतता के लिए चुनाव सुधार की आवश्यकता पड़ती है। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। गौरतलब है भारत अपनी आजादी के62 साल पूरे कर चुका है और यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यही नहीं इसके लोकतंत्र की मजबूती की मिसाल पूरी दुनिया केलिए प्रेरणा दायक है। इसका कारण भी है कि लोकतंत्र को ताक पर रखने वाले और तानाशाही से संचालित होने वा ले पड़ोसी देशों सेघिरे होने के बावजूद भारत के लोकतंत्र की बुनियाद काफी मजबूत है।हमारी न्यायव्यवस्था की कमजोरियों के कारण भले ही बहुत सारे आरोपियों को लम्बे समय तक दण्ड न मिल सके और ढेर सारे लोग सबूतों के अभाव और गवाहों के टूट जाने से छूट जाएं किंतु जनता के मन में यह बात घर कर चुकी है कि अधिकांश नेता और दल भ्रष्ट हैं और उनमें से बहुत कम ही जाँच के घेरे में आ पाते हैं। इसका प्रमुख कारण शक्तिशाली कानूनों का आभाव या क्रियान्वयन में राजनितिक हस्तक्षेप हे साथ ही वर्तमान चुनाव प्रणाली और राजनितिक दलो के आय व्यय में अपारदर्शिता और भ्रष्टाचार भी हे |